30 March 2022

Important News: India

1. राज्य अल्पसंख्यकों की पहचान कर सकते हैं: केंद्र

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा की, "राज्य सरकारें राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को 'अल्पसंख्यक समुदाय' के रूप में भी घोषित कर सकती हैं"।

प्रमुख बिंदु

- हलफनामा अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा 2020 की याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिन्होंने कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक थे और उन्हें चाहिए कि इन राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 के TMA पाई फैसले में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- TMA पाई मामले में, SC ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यवार माना जाना चाहिए।

केंद्र का रुख:

- केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का तर्क सही नहीं है क्योंकि राज्य भी उक्त राज्य के नियमों के अनुसार संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं।
- केंद्र ने उदाहरण दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने राज्य के भीतर 'यहूदियों' को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया। फिर से, कर्नाटक ने राज्य के भीतर उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लम्बाडी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:

- संसद के पास विधायी क्षमता है और केंद्र सरकार के पास **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992** की धारा 2 (c) के तहत एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की कार्यकारी क्षमता है।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) के तहत छह समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया।
- इसी तरह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम की धारा 2 (f) में प्रावधान है कि 'अल्पसंख्यक' का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. राष्ट्रपति ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

- भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए **तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार** के विजेताओं को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मानित किया और **जल शक्ति अभियान: कैच द रेन कैंपेन 2022** का शुभारंभ किया।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने **भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम इंडिया वाटर वीक -2022 के 7वें संस्करण** की प्रथम सूचना विवरणिका जारी की। इसका आयोजन 1-5 नवंबर, 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में करने की योजना है।

प्रमुख बिंदु

- **उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु** राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में:

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था।

- जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग-अलग श्रेणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में 57 पुरस्कार दिए।

नोट:

- भारत में स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया के ताजे जल संसाधनों का सिर्फ 4% है।
- मई 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय का गठन तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विलय के बाद किया गया था।
- जल आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए 2019 में जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन शुरू किया गया।
- 22 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" अभियान शुरू किया।

स्रोत: PIB

3. राष्ट्रीय महिला आयोग ने DSLSA के सहयोग से कानूनी सेवा क्लिनिक शुरू की

चर्चा में क्यों?

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** ने **दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)** के सहयोग से एक कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी प्रकार की कानूनी सेवाएं क्लीनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- नए कानूनी सहायता क्लिनिक के तहत वॉक-इन शिकायतकर्ताओं को परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा और संकटग्रस्त महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण / दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में परामर्श और जानकारी दी जाएगी। अन्य सेवाओं में महिला जनसुनवाई में सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता, वैवाहिक मामलों में सुनवाई और आयोग में पंजीकृत अन्य शिकायतों के बारे में सहायता प्रदान करना शामिल है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में:

- यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

- आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी।
- रेखा शर्मा वर्तमान अध्यक्ष हैं।

महिला अधिकारिता योजनाएं:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- महिला हेल्पलाइन योजना
- कामकाजी महिला छात्रावास
- स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)
- नारी शक्ति पुरस्कार
- राज्य महिला सम्मान और जिला महिला सम्मान
- महिला पुलिस स्वयंसेवक
- महिला शक्ति केंद्र (MSK)
- निर्भया

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

Important News: State

4. असम और मेघालय ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए

चर्चा में क्यों?

- नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु

- पिछले साल जुलाई से, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके मेघालय समकक्ष कोनराड संगमा अपनी 884 किलोमीटर लंबी सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
- जबकि दोनों राज्यों के बीच विवाद के 12 क्षेत्र हैं, जुलाई 2021 में, दोनों सरकारों ने पहले चरण में समाधान के लिए छह क्षेत्रों (हाहिम, गिज़ांग, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा-पिलिंगकाटा, रातचेरा) की पहचान की।

नोट:

- ब्रिटिश शासन के दौरान, असम में मिजोरम के अलावा वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल थे, जो बाद में अलग राज्य बन गए।
- मेघालय को 1972 में असम से अलग कर बनाया गया था, और तब से सीमा की एक अलग व्याख्या की गई है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

5. गुजरात को भारत का पहला 'स्टील रोड' मिला

चर्चा में क्यों?

- भारत का डायमंड सिटी, सूरत, गुजरात में स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- CSIR इंडिया (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) और CRRI (सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट) के साथ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा सरकार के थिंक टैंक NITI आयोग के साथ निर्मित, स्टील स्लैग रोड सतत विकास का एक शानदार उदाहरण है।
- स्टील उद्योगों द्वारा लाखों टन स्टील स्लैग का उत्पादन किया जाता है और इनका अब तक कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं हुआ है।
- हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में बनी इस सड़क में 100% प्रोसेस्ड स्टील स्लैग है।

स्रोत: ET

Important News: Defence

6. INAS 316 का कमीशन समारोह

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना के दूसरे P-8I विमान स्क्वाड्रन, **भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन (INAS) 316** को 29 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
- समारोह INS हंसा, गोवा में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- INAS 316 को 'कोंडोर्स' नाम दिया गया है, जो विशाल पंखों की सहायता से उड़ने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े पक्षियों में से एक हैं।
- INAS 316 बोइंग P-8I विमानों का संचालन करेगा, यह मल्टीरोल, लॉग रेंज टोही एंटी-सबमरीन वारफेयर (LRMR ASW) विमान है, जिसे एयर-टू-शिप मिसाइलों और टॉरपीडो की श्रृंखला से लैस किया जा सकता है।
- इस स्क्वाड्रन को विशेष रूप से ऑप्शन क्लॉज अनुबंध के तहत खरीदे गए चार नए P-8I विमानों के लिए तथा IOR में किसी खतरे का निवारण करने, पता लगाने और नष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- ये विमान 30 दिसम्बर, 2021 से हंसा से संचालित हो रहे हैं और यह स्क्वाड्रन पूर्ण स्पेक्ट्रम सतह और उपसतह नौसेना संचालन के साथ एकीकृत है।

स्रोत: PIB

Important News: Polity

7. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लोकसभा में **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022** पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्यों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों के भौतिक और जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने के लिए अधिकृत करता है।
- विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जिसका दायरा एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीमित श्रेणी के दोषी और गैर-दोषी व्यक्तियों के उंगलियों के निशान और पैरों के निशान और तस्वीरों की रिकॉर्डिंग तक सीमित था।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर और हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा जिसे कम से कम 75 वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत माप लेने की अनुमति का विरोध या इनकार करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।

सरकार द्वारा की गई संबंधित पहल:

- गृह मंत्रालय सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो (CFPB) और NIST फिंगरप्रिंट इमेज सॉफ्टवेयर (NFIS) के फिंगरप्रिंट डेटाबेस के एकीकरण पर काम कर रहा है।
- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली

स्रोत: द हिंदू

Important News: Appointment

8. गिल्बर्ट हौंगबो ILO के अगले महानिदेशक होंगे

चर्चा में क्यों?

- टोगो के गिल्बर्ट हौंगबो **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अगले महानिदेशक होंगे।

प्रमुख बिंदु

- गिल्बर्ट हौंगबो को ILO के शासी निकाय द्वारा चुना गया था, जिसमें सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे।
- हौंगबो वर्तमान में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) के अध्यक्ष हैं।
- वह ILO के 11वें महानिदेशक और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे।
- उनका पांच साल का कार्यकाल 1 अक्टूबर, 2022 को शुरू होगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान महानिदेशक, **गाय राइडर**, 2012 से इस पद पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में:

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका जनादेश अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **स्थापना:** 11 अप्रैल 1919
- ILO में **187 सदस्य राज्य** हैं।
- **भारत** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।

नोट: भारत ने 2020 में ILO के शासी निकाय की **अध्यक्षता ग्रहण** की है।

स्रोत: ET

Important News: Books

9. NITI आयोग और FAO ने 'इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030' नामक पुस्तक को लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने **NITI आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में **'इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030: पाथवेज फॉर एन्हांसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम'** नामक पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित, 'इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030' नामक पुस्तक में NITI आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय संवाद की विमर्श प्रक्रिया और 2019 से FAO द्वारा प्रदान की गई सुविधा के परिणामों के बारे में उल्लेख किया गया है।

'इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030' पुस्तक में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

- भारतीय कृषि में बदलाव
- संरचनात्मक सुधार और शासन
- आहार विविधता, पोषण और खाद्य सुरक्षा
- कृषि में जलवायु जोखिम प्रबंधन
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
- भारत में जल और कृषि परिवर्तन का सहजीवन
- कीट, महामारी, तैयारी और जैव सुरक्षा
- एक सतत और जैव विविधता वाले भविष्य के लिए परिवर्तनकारी कृषि-पारिस्थितिकी-आधारित विकल्प

स्रोत: PIB